

No.17011/01/2014/IS.VI(1)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Internal Security Division
(IS.VI Desk)

Dated : 26th August, 2014

To

Shri Vinod Sharma,
Advocate, High Court Chamber No.10,
Nainital, Uttarakhand.


Subject:- Seeking information under RTI Act, 2005 - regarding.

Sir,

Please refer to this Ministry's letter No. 43020/01/2014-RTI dated 04.08.2014 and your application dated 16.07.2014 which was received in the office of the undersigned on 06.08.2014 on the above subject.

2. In this regard, it is inform that the required information is not available with the undersigned.
3. The Appellate Authority in the matter is Shri Rakesh Singh, Joint Secretary (IS-I), North Block, New Delhi.

Yours faithfully,


(Ramesh Kumar Suman)
Director (IS-II)&CPIO

Copy to:-

1. RTI Section North Block w.r.t their letter dated 04.08.2014.
- ✓ 2. S.O. IT Cell, MHA, North Block, New Delhi alongwith a copy of RTI Application and reply for uploading the same in MHA website.

RTI-189/Dist/ISII
6/8/2014

सं. ए-43020/01/2014/आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

RTI No. - 104/IS.VI/20

06/08/2014

नई दिल्ली, दिनांक : 04/08/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/श्री विनोद
श्रीमती एकोडे का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/श्री विनोद, श्री एकोडे के दिनांक 16/07/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में युवाश्रम कार्यालय से अंतरण द्वारा दिनांक 25/07/2014 को प्राप्त) को रुई.एम. प्रभाग को अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 1/12/14 की रसीद में ~~के तहत जमा कर दिया है (संग्रह) नहीं किया है क्योंकि वह सी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

सुशमन
(रक्ष. सहायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

6/8/2014
US (IS-V)

SO (B.S.)
6/8/2014
Bala
6/8/14

सेवा में

निदेशक (आ.स.म.म.)
गृह मंत्रालय
नया बंगला, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित

श्री/श्रीमती/श्री विनोद श्री एकोडे

हाई कोर्ट चौक नं-10,
नयी दिल्ली (दिल्ली)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरोक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

म. म. म. म. म.

C-317185/H3/14
24/07

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांक: 23/07/2014

संख्या आरटीआई/4238/2014-पीएमआर

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री विनोद शर्मा से प्राप्त दिनांक 16.7.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 19.7.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

MS-24/7
24/7
JF (A)

(सैयद इकराम रिज़वी)

निदेशक एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

☎: 2307 4072

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

बिन्दु संख्या 2 और 3 के संबंध में

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री विनोद शर्मा, एडवोकेट
हाई कोर्ट चेम्बर न0. 10
नैनीताल, उत्तराखण्ड

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। इस कार्यालय से संबंधित सूचना कालान्तर में दे दी जाएगी।

MS-24/7
24/7
JF (E)

25/7
JF (A)
50 (RTI)
25/7

Dir IST

| | |
|----------------|----------|
| URGENT | |
| RTI ACT | |
| Diary No. 9226 | 19/07/14 |
| & Date | 24/07/14 |

| | |
|-------------------------|--|
| PRIME MINISTER'S OFFICE | |
| 15 JUL 2014 | |
| DAK SECTION | |

1238/14

16/7/14

मा. प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, लाउडन ब्लॉक, सेक्टर थ्रिड मिडिस, रेसिडेंस हिल्स, नई दिल्ली

विषय- मा. प्रधानमंत्री की मोदी से स्वरचना प/स 6 स्वरचना के अतिक्रमण (कॉपी) 2005,

महोदय,

इससे पहले चाणक्य विद्या से प्रधानमंत्री पद व में चाणक्य विद्या से कोणार्जुनी की 22 वर्ष की एईकेटी की वकालत, आपको प्रस्तावित मानते हुए ससम्मान निवेदन है कि - यदि एक आम चरेलु परा (अभराधी से एक आम परिक्रित मितल है ले आमतौर पर इस व्यक्ति के विरुद्ध पुल्लि धारा 212 व 216 I.P.C. में चुकना दर्ज काली है व इसके पूरे खानदान को बुरा केसांल कहलानी है, एअफिस कर्डिग भारत वर्ष के मोस्ट वॉटेड अफराधी से एअ वेड प्रभाप वेडिफ मितल है अपनी प्रतिक्रान की सावजनिक रूप से स्वीकार करते हैं यह कुल्य प्रथम दुष्टता धारा 121-A, 123, 124-A, 130, 212, व 216 I.P.C. की पीडी में आता है यह विषय विवेचना का है एअ संजीन (कॉमिडिडल) माथला में विवेचना ए.ए.ए. दर्ज करने के बाद ही की जा सकती है (2014 Vot) SCC (म) पृष्ठ 524 परा 120(1) फुल बेच

शुपमा स्वरचना देन जा पष्ट परे

श्री (K)

(i) मा. प्रधानमंत्री व उनके सक्षम अधिकारिक द्वारा इस स्तर पर क्या कार्रवाई की गई ?

MHA

4024256

(ii) वेद प्रताप वेडिफ एअ अक्षय के विरुद्ध किस घाने में, किन धाराओं के अ.ए.ए. दर्ज की गई ?

(iii) एक आम व्यक्ति वेद प्रताप वेडिफ गारुडवा के मोस्ट वॉटेड अफराधी से कितने व बातचीत करने में कामयाब हुआ, निश्चितत यह काम एक दिन में नही हुआ, भाकी किने के प्रभले से सम्भव हुआ होगा लेकिन इस देश की सुफिया संजेलीया क्या कह रही थी ?

श्री (K)

Q- मा. प्रधानमंत्री शुपमा स्वरचना देन वी शुपा को कि देव की सुरक्षा संजेलीया की दल नाकागंजानी व के सफलता होने पर आपके द्वारा सुरक्षा एजेंसी के फि-2 प्रमुखों/अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई ?

सूत्र सं 10, का पाएड कॉडिड सलपुवें

JPO NO. 17F 504600 4 F 10/

(विनोद शर्मा) एअकेड
 एअकेड चतुर्था 10
 नवीनाम, उदरारुड